P-1 R.M.M. Law college - saharsa
Manvendra Maidal | Subject contract-1
part time Lecturer | Part-1

विकृतचित्त व्यक्ति (person of unsound mind)

आंग्लविधि→ अस्वस्थ चित्त व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य नहीं बल्कि शून्यकरणीय होती है। अर्थात वह अपनी संविदा का अभिखण्डन कर सकता है यदि वह सिद्ध कर सके कि संविदा करते समय उसका मस्तिष्क इतना विकृत था कि उसे संविदा के स्वरूप व परिणाम को समझने की क्षमता नहीं थी, साथ ही दूसरे पक्षकार को इस दशा की पूर्ण जानकारी थी तो ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत वह संविदा को शून्य करा सकता है। प्रमाण भार (Burden of proof) उस पक्षकार पर रहता है जो उसे शून्य कराना चाहता है। इससे सम्बन्धित इन्द्रसिंह बनाम परमेश्वरधारी सिंह के वाद में एक व्यक्ति ने 1000/- रुपये में एक ऐसी सम्पत्ति-विक्रय की संविदा किया जिसका वास्तविक मूल्य 25,000/- रुपये था। वाद के दौरान विक्रेता की माँ ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि यह लड़का जन्म से मूर्ख (जड़) तथा कोई बात समझने के अयोग्य था तथा आवारा की भाँति इधर-उधर घूमा करता था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल विकृतचित्त व्यक्ति ही संविदा के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी जो अपने कार्यों के परिणाम व हित की सुरक्षा को समझने एवं उस सम्बन्ध में Reasonable decision लेने के अयोग्य है, तो ऐसा व्यक्ति भी संविदा के लिए अक्षम है।

भारतीयविधि→ भारतीय संविदा विधि में धारा-11 के अनुसार प्रत्येक मान्य संविदा के निर्माण के लिए पक्षकार का वयस्क होने के अतिरिक्त सुस्थित चित्त के होने आवश्यक है। सुस्थित चित्त व्यक्ति कौन है- धारा 12 संविदा अधिनियम में स्पष्ट किया गया है।

अवयस्क की तरह अस्वस्थचित्त व्यक्ति द्वारा की गई संविदा आरम्भतः शून्य होती है। इसकी जानकारी दूसरे पक्षकार को हो या नहीं, इससे संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जो संविदा विकृत चित्त वाले व्यक्ति के हित में की जाती है, वह अवयस्क के हित में की गई संविदा की तरह मान्य व प्रवर्तनीय होती है। अस्वस्थ चित्त व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तुओं के धन की भरपाई उसकी सम्पत्ति से करायी जाती है।

Scanned with CamScanner